

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क./मंडी कार्मिक/बी-1/34-5/1728

भोपाल, दिनांक 13/07/2020

आदेश

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 80 के तहत कृषि उपज मंडी समितियों के लिये उपविधि सन् 1987 बनाई गयी, जिसके अंतर्गत मंडी समिति के सेवकों के सेवा संबंधि मामले निर्धारित किये जाते हैं।

राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की भौति मंडी समिति सेवा के सेवकों के लिये मंडी अधिनियम 1972 की धारा 81 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रस्तावित है कि उपविधि-1987 में सेवा नियमों संबंधि कण्डिका-42 अंतर्गत 42 (ग) के रूप में निम्नानुसार नवीन प्रावधान दिनांक 29.03.2012 से स्थापित किया जावे –

42 (ग)

(1) तदर्थ आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं को नियमित किये जाने तक, कोई वरिष्ठता नहीं दी जायेगी,

(2) यदि किसी व्यक्ति को भरती नियमों में दी गयी प्रक्रिया का मूलतः अनुसरण करते हुए तदर्थ नियुक्ति दी जाती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, नियमों के अनुसार सेवा में नियमित किये जाने तक लगातर पद पर बना रहता है तो उसकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिये, स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना की जायेगी।

अतः निर्देशित किया जाता है, कि उपविधि सन् 1987 में उपरोक्तानुसार संशोधन इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक माह की समयावधि में अर्थात् दिनांक 12/08/2020 तक स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि के अंतर्गत उक्त संशोधन स्थापित न होने पर मंडी अधिनियम की धारा 81 के तहत प्रस्तावित संशोधन मंडी समिति पर आबद्धकर होगा।

गोपा
(संदीप यादव)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क./मंडी कार्मिक/बी-1/34-5/1729

भोपाल, दिनांक 13/07/2020

प्रतिलिपि :–

- विशेष सहायक, माननीय मंत्री, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह-अध्यक्ष मंडी बोर्ड।
- निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
- अपर संचालक, (समर्त) / मुख्य अभियंता, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

4. संयुक्त संचालक/उप संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय
5. कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग
6. समस्त भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मंडी समिति जिला
7. व्यक्तिगत नस्ती/बोर्ड कार्मिक शाखा/लेखाशाखा/आडिट शाखा/नियमन शाखा/
कम्प्यूटर शाखा/स्टोर शाखा/ओदश नस्ती।

.....
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भौपाल